राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1257/2022
केशरमल डाबरिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रधानाध्यापक के पद से दिनांक 30.06.2020 को अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त हो चुके है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपीलार्थी को अभी तक सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के संबंध में पूर्व में विभागीय जांच लम्बित थी, जो सेवानिवृत्ति के पश्चात आदेश दिनांक 17.03.2021 के द्वारा समाप्त की जा चुकी है। इसके बाद भी अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किये गये हैं।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को पेंशन लाभ दिये जाने के संबंध कार्यवाही की जा रही है।
3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग की दुखद स्थिति है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2020 के बाद वर्तमान में 3 वर्ष से अधिक समय हो जाने के पश्चात भी अपीलार्थी को पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया है। प्रत्येक कार्मिक को समय पर पेंशन लाभ दिया जाना सरकार का दायित्व है।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को समस्त सेवानिवृत्ति लाभ इस आदेश की दिनांक से 6 सप्ताह में जारी किया जाये। यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 89 के तहत पेंशन परिलाभों के देरी से भुगतान पर नियमानुसार ब्याज राशि भी अदा की जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)